न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 176/2007

मोहनराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- पोकरराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0) दौराने अपील मृत्यु

1/1- रामनिवास पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज) दौराने अपील मृत्यु

1/1/1- मु0 मन्नी पत्नी रामनिवास

1/1/2- मुकेश पुत्र रामनिवास

1/1/3- सीताराम पुत्र रामनिवास

1/2- विधाधर पुत्र पोकरराम

1/3- महावीरसिंह पुत्र पोकरराम

1/4- मु0 अनिता पत्नी गुलझारी

जाति जाट निवासीगण सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

2- बीरबल पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0) दौराने अपील मृत्यु

2/1- खयालीराम पुत्र स्व0 बीरबल

2/2- रामचन्द्र पुत्र स्व0 बीरबल

2/3- हरप्यारी पत्नी स्व0 बीरबल

जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

2/4- मु0 राजू पुत्री स्व0 बीरबल पत्नी रामधन जाति जाट निवासी पोथाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

3- सांवलराम पुत्र हरदेवाराम

4- सुलतान पुत्र रामरख

5- इन्द्राज पुत्र रामरख

जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6- मु0 गुमानी पुत्री रामरख स्त्री सुलतान जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू(राज7 दौराने अपील मृत्यु(

6/1- सुल्तान पुत्र नामालूम
6/2- प्यारेलाल पुत्र मु0 गुमानी व सुलतान
6/3- प्रकाश पुत्र मु0 गुमानी व सुलतान

जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू

7- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

8- सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर शाखा नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

9- भगवानाराम पुत्र शैतानाराम जाति जाट निवासी पूनिया की ढाणी तन सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0(

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-9-2007 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नवलगढ ।
--0--

उपस्थित-

1-श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री अमरसिंह चौधरी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 13.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा घोषणार्थ स्थायी निषेधाज्ञा दुरूस्ती रेकार्ड व विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सौथली की सरहद में स्थित आराजी पुराने खसरा नं0 159 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा0, खसरा नं0 287 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 483 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 484 रकबा 0.88 हैक्टर ख0नं0 602 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0नं0 603 रकबा 1.05 हैक्टर, ख0नं0 604 रकबा 1.21 हैक्टर के वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 6 शामलाती खातेदार काश्तकार

है जिसमें 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी, 1/8 हिस्से का प्रतिवादी सं0-1 व 1/8 हिस्से का प्रतिवादी सं0-2 तथा 1/8 हिस्से का प्रतिवादी सं0-3 तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदारी काश्तकार प्रतिवादी सं0-4 से 6 हैं । उक्त हिस्से के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 6 शामलाती खातेदार है तथा शामलाती काश्त करते हैं। उक्त आराजी पैत्रिक है । इसी अनुसार पुराना राजस्व रेकार्ड बना हुआ है किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने गलती से वादी का नाम दर्ज नहीं किया इस कारण यह दावा घोषणार्थ पेश किया है ।भू-प्रबन्ध अधि-कारियों ने प्रतिवादी सांवल से साजिस कर वादी एवं प्रतिवादी पोकर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया । जबकि वादी मोहन एवं प्रतिवादी पोकर का नाम भी उनके हिस्से के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था । सांवल ने वादी की सहमति दर्ज की है तो वह गलत है। भू-प्रबन्ध विभाग को बिना सक्षम आदेश के पुराने रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी गलत राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कराने का अधिकारी है । गलत राजस्व रेकार्ड की आड में प्रतिवादी सं0-1 से 3 विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । प्रतिवादी सं0-2 ने गलत राजस्व रेकार्ड की आड में प्रतिवादी सं0-8 के यहां आराजी को गिरवी भी रख दिया है।तथा प्रतिवादी संख्या-3 ने दिनांक 15-6-2003 को जबरन कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकल लेकर यह दावा किया । उसे अदालत मातहत मातहत में प्रतिवादी सं0-1 से 3 ने जबाब दावा पेश कर काउण्टर क्लेम पेश किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट सं0-4 से 6 के पिता रामरख का 1/2 हक हिस्सा रहा, हरदेवाराम का 1/2 हिस्सा रहा । हरदेवा राम के देहान्त के बाद 1/2 हिस्से की टिनेन्सी राईट उत्तराधिकार में वादी/ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 को प्राप्त हुये । जिससे स्पष्ट है कि उक्त

का टीनेन्ट अपीलान्ट भी रहा है । इस बात की ताईद राजस्व रेकार्ड से भी होती है ।अपीलान्ट की खातेदारी दौराने सैटलमेन्ट के हुई है । और भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी की खातेदारी खत्म नहीं कर सकता ।तथा भू-प्रबन्ध विभाग को विभाजन का भी कोई अधिकार नहीं है । अदालत मातहत ने इन कानूनी बिन्दूओं को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-6 ने अपीलान्ट के दावे को इकबालिया जबाब दावा पेश कर स्वीकार किया है । तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 न अदालत मातहत में राजीनामा पेश कर अपीलाट के दावे को स्वीकार किया है । अब अपीलान्ट का विवाद केवल रेस्पोडेन्ट सं0-3 से रहा है । रेस्पोडेन्ट सं0- 4 व 5 तथा 9 ने वादी के दावे का कोई खण्डन नहीं किया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 द्वारा किये गये राजीनामा के बाबत निर्णय में कोई विवचेन नहीं किया ।अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी में अपनी टिनेन्सी बखुबी साबित की है । किन्तु अदालत मातहत ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय तथ्यों के विपरित दिया है । अदालत मातहत ने विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने का आधार गलत दर्ज किया है । अदालत मातहत ने जिस दस्तावेज से कब्जा नहीं मानेन का उल्लेख किया है वह कानून सम्मत नहीं है। भू-प्रबन्ध के निर्णय दिनांक 13-4-1982 के सम्बन्ध में अपीलान्ट की सहमति होना निर्णय में गलत दर्ज किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि भू-प्रबन्ध विभाग के समक्ष बंटवारे के समय अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुआ ।ऐसी स्थिति में अदालत मातहत ने बंटवारे के सम्बन्ध में कयास के तौर पर मौखिक सहमति मानकर विधि व तथ्य की भूल कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने पैत्रिक भूमि पर अपीलान्ट द्वारा हक छोड दिया जाना मनमर्जी से मानकर आदेश पारित किया है ।कानूनन बंटवारे के लिये मौखिक सहमति नहीं दी जा सकती । इस प्रकार योग्य अदालत मातहत ने गलत आधारों पर अपना आदेश पारित किया है । खातेदार की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-63 के तहत ही खत्म हो सकती है । अपीलान्ट की खातेदारी इस नियम के तहत हुई हो ऐसा रेकार्ड पर नहीं

सं0-9 के पक्ष में विक्रय पत्र किया जो कानूनन शून्य है जिसको दावे में चुनौती दी है। अदालत मातहत ने विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दिये जाने का आदेश दिया है जबकि इस प्रकार के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।अदालत मातहत का निर्णय तथ्यों के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाकर वादी/अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है । जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा है । विवादित आराजी की खातेदारी रामरख 1/2 एवं हरदेवाराम 1/2 हिस्से की दर्ज रही है । हरदेवाराम अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 का पिता है जिससे विवादित आराजी में उत्तराधिकार के अनुसार 1/8 हिस्सा है।अपीलान्ट हरदेवा का पुत्र है ।इस तथ्य को प्रतिवादी सं0-6/रेस्पोडेन्ट संख्या-6 ने इकबालिया जबाब दावा पेश कर दावा स्वीकार किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में राजीनामा पेश कर अपीलान्ट का हरदेवा की आराजी में हिस्सा बताया तथा हरदेवाराम के चारों पुत्रों का समान हक हिस्सा बताया है । राजीनामा योग्य अदालत मातहत ने तस्दीक किया है । राजीनामा लॉ फुल है उसको नकारा नहीं जा सकता किन्तु अदालत मातहत ने इस ओर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।रेस्पोडेन्ट सं0-4, 5 व 9 ने मेरे दावे का कोई खण्डन नहीं किया है । विवादित आराजी पैत्रिक साबित है तथा पैत्रिक आराजी में मेरा विरासत के आधार पर हक हिस्सा है । सैटलमेन्ट विभाग ने रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से साज कर मेरा हिस्सा समाप्त किया है जिसका सैटलमेन्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है सैटलमेन्ट का विभाग को पूर्व जमाबन्दी के इन्द्राज को दौहराना है उसमें किसी प्रकार बदलाव बिना किसी सक्षम आदेश के नहीं कर सकता ।अदालत मातहत ने

खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-63 के तहत ही समाप्त की जा सकती है ।ऐसा कोई आदेश नहीं है ।अपीलान्ट को उसका हक चाहिये जिसके लिये यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जिसका अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के खारिज करने में कानूनी भूल की है । बहस के समर्थन में आरआर टी 2001(1) पेज 241(हाई कोर्ट), आरआरटी 2012(2) पेज-927, आरआर टी 2009-10(एस0सी0) पेज 297, 587, आरएलडब्लू 2012(2)राज0 पेज-906, 896(हाई कोर्ट) आरआरडी 2002 पेज 249, आरआरडी 2001 पेज-86, आर आरटी 2007(1) पेज 659, आरआरटी 2011(1) पेज 424, आरबीजे-1999 पेज 531 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर क्लेम खारिज होने पर कोई अपील नहीं की है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।अपीलान्ट ने जो दावा पेश किया है उसमें उक्त विवादित आराजी के अलावा आराजी ख0नं0 580 रकबा 2.29 हैक्टर और थी जिसको अपीलान्ट ने दावे में दर्ज नहीं किया । यह आराजी मोहन के बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलान्ट मोहन का ही कब्जा काश्त है । अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आया ।विवादित आराजी एवं ख0नं0 580 का बंटवारा सन् 1976 में किया गया था । जिस बंटवारा में ख0नं0 580 मोहन अपीलान्ट के हिस्से में आई थी जिसको दावे में दर्ज न कर दावा पेश किया है जबकि बंटवारा में वह आराजी अपीलान्ट को दी जिसको अपीलान्ट ने जानबुझ कर छिपाया है ।शेष आराजी में अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है । न ही अन्य आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा रहा है ।सैटलमेन्ट विभाग ने अन्य भूमियों पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं होने पर उसका नाम दर्ज नहीं किया है ।सैटलमेन्ट हुये करीब 24-25 वर्ष हो गये। अपीलान्ट ने सैटलमेन्ट की गलती के बाबत इतने लम्बे समय तक दावा क्यों नहीं किया । इसका दावे में कोई कारण दर्ज नहीं किया है । सैटलमेन्ट ने राजस्व रेकार्ड सही बनाया है विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा बंटवारा के समय से सन् 1976 से

लगातार रहा है । इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहा है । सन् 1976 से ही अलग अलग काश्त करते आ रहे है । अपीलान्ट विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है । न ही अपीलान्ट को कोई वाद कारण पैदा हुआ है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकी वाईज दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श पी-1 प्रार्थना पत्र व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी कैम्प सौथली उदयपुरवाटी को बीरबल, मोहन पुत्र हरदेवाराम ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सौथली के नये खसरा नं0 602 के अन्दर पोकर पुत्र हरदेवाराम, ख0नं0 603 के अन्दर सांवल पुत्र हरदेवाराम, ख0नं0 604 xxxx के अन्दर रामरख पुत्र दुर्गाराम काश्त करते है । बीरबल मोहन पुत्र हरदेवाराम को भाई बंट की जमीन पहले ही दे दी गई।पर्चा भी अलग अलग दिया जावे ।प्रार्थना पत्र पर केवल बीरबल के हस्ताक्षर है । प्रार्थना पत्र की पुश्त पर रिपोर्ट की है जिसमें दर्ज किया है हाजिर होकर बयान नहीं दिये है। प्रदर्श-2 विक्रय पत्र सांवलराम पुत्र हरदेवाराम ने भगवानाराम पुत्र शैतानराम पूनिया को ख0नं0 603 रकबा 1.05 हैक्टर का बैचान किया है । प्रदर्श-पी-3 में ख0नं0 603 रकबा 1.05 हैक्टर की खातेदारी सांवल पुत्र हरदेवाराम के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-पी-4 नकल जमाबन्दी सं0-2032 से 2035 में ख0नं0 159 व 287 कुल किता-2 रकबा 2। बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी रामरख पुत्र दुर्गा 1/2, पोकर राम बिरबल, सांवल, मोहनराम पि0 हरदेवा के नाम दर्ज है । प्रदर्श-पी-5 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । राजीनामा दिनांक4-5-2005 मोहन वादी एवं बीरबल पुत्र हरदेवा प्रतिवादी सं0-2 के मध्य राजीनामा हुआ xxxxx तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 पोकर के मध्य दिनांक 25-5-2005 को राजीनामा हुआ राजीनामा अदालत मातहत द्वारा तस्दीक किया गया । राजीनामा में ख0नं0 484 602, 603 व 604 में वादी मोहन का भी नाम दर्ज करके चारो भाईयों के बराबर बराबर हिस्सा दर्ज करने का किया गया है । बयानो का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर आया कि हरदेवाराम के चार पुत्र मोहन राम अपीलान्ट, पोकर रेस्पोडेन्ट सं0-1, बीरबील रेस्पोडेन्ट सं0-2 एवं सांवल राम रेस्पोडेन्ट सं0-3 हुये । प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0- 2032 से 2035 में विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर पोकर, बिरबल, सांवलराम, मोहन पि0 हरदेवाराम के नाम से विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज है । प्रदर्श-पी-1 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को बिरबल व मोहन के नाम से प्रार्थना पत्र पेश कर इस आराजी से मोहन बीरबल का नाम हटाने का निवेदन किया तथा दर्ज किया कि मोहन बिरबल को भाई बंट की आराजी पहले ही अलग से दी गई । किन्तु इस प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट मोहन के कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र की पुश्त पर रिपोर्ट स्पष्ट है कि कोई हाजिर होकर बयान नहीं किये हैं । राजीनामा दिनांक 4-5-2005 को प्रतिवादी सं0-2 बीरबल एवं दिनांक 25-5-2005 को प्रतिवादी संख्या -1 पोकर ने राजीनामा में मोहन का चारो भाईयों के समान हिस्सा माना है तथा राजीनामा में उसका नाम भी दर्ज रेकार्ड करने कर निवेदन किया । दावा दिनांक 30-6-2003 को पेश किया तथा प्रतिवादी सं0-3/रेस्पोडेन्ट संख्या-3 सांवल पुत्र हरदेवा ने भगवाना पुत्र गैताराम पूनिया को ख0नं0 603 रकबा 1.05 हैक्टर का बैचान किया । यह बैचान पत्र दावा दायरी के बाद पेश किया है जो विधि के विपरित है ।अपीलान्ट विवादित आराजी का सम्वत 2032 से 2035 में खातेदार दर्ज है जिसका नाम सैटलमेन्ट विभाग ने हटा दिया । इसके बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या-3 ने विवादित आराजी में अपीलान्ट ख0नं0 603 रकबा 1.05 का विक्रय किया जो अपीलान्ट के हिस्सा तक स्वतः ही निरस्त माना जावेगा जैसा आरएलडब्लू 2012(2) राज0 पेज 906 में स्पष्ट किया गया है । क्रेता ने अपीलान्ट के दावे का कोई खण्डन नहीं किया है । बयानों में भी विवादित भूमि चारो भाईयों के होना स्वीकार है तथा सांवल द्वारा उक्त आराजी का बैचान दावा दायरी के बाद अपने हिस्से से अधिक आराजी का किया है जो अपीलान्ट के हिस्से तक शून्य है ।अपीलान्ट सं0 2032 से 2035 में रेस्पोडेन्ट सं0-1 से के साथ सह खातेदार दर्ज है और सहखातेदार का कब्जा नहीं है तो भी यह अवधारणा की जावेगी कि सहखातेदार का कब्जा है ।अदालत मातहत ने उनकी संख्या-2 को

कब्जा नहीं होने पर वादी के विरुद्ध निर्णित किया है। जबकि प्रदर्श-पी-4 में वादी खातेदार काश्तकार है जिसकी खातेदारी बिना किसी आधार के खारिज की है । जिसको दुरूस्त कराने का अपीलान्ट को अधिकार है । प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य मे रेस्पोडेन्ट संख्या-3 द्वारा किया गया विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड है । क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं0-3 ने विक्रय पत्र अपने हिस्से से अधिक आराजी का गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर किया है ।जिस की ताईद प्रस्तुत अदालत मातहत में राजीनामों से भी होती है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट अपने तीनों भाईयों के साथ बराबर का हक रखता है जिसमें चारो भाईयों का विवादित आराजी में समान हक हिस्सा माना है । जो जमाबन्दी सं0-2032 से 2035 से भी होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-9-2007 खारिज किया जाता है तथा आराजी हाल ख0नं0 483, 484, 602, 603 व 604 में वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 का प्रत्येक का 1/8 हि0 तथा प्रतिवादी सं0- 4 से 6 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है ।तथा विक्रय पत्र दिनांक 16-1-2004 हिस्से से अधिक आराजी का बैचान करने पर नल एण्ड वोईड किया जाता है । राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया ।

13/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा, आर0ए0एस0

मोहनराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू। राज0
--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- पोकरराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू - दौराने अपील देहान्त
--रेस्पोडेन्टस्--

नोट- उनवान संलग्न है

अपील नम्बर 176 सन् 2007 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी नवलगढ

मुकाम - दिनांक 19 माह 9 सन् 2007

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 13-12-17 हब्स हमारे व हाजिर श्री विजयपाल.....

..... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री अमरसिंह चौधरी.....

मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-9-2007 खारिज किया जाता है तथा आराजी हाल ख0नं0 483, 484, 602, 603, व 604 में वादी एवं प्रति-वादी सं0-1 से 3 का प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-4 से 6 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा विक्रय पत्र दिनांक 16-1-2004 हिस्से से अधिक आराजी का बयान करने पर नल एण्ड वोईड किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमलदरा-मद किया जावे।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग .....xxx..... रुपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का .....xxx..... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 13-12-17 को जारी की गई।

दस्तखत -

ओहदा-

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	